न्यायालय सिविल जज(सी.डी.),जौनपुर।

वाद संख्या–389/2021

रीता देवी बनाम प्रेमनरायन व अन्य।

05.01.2022

प्रार्थना–पत्र 18क का निस्तारण

प्रार्थना–पत्र 18क मय शपथ–पत्र 19ग वादी पक्ष की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में सहवन भूलवश एवं टंकण की त्रुटि के कारण प्रतिवादी संख्या–2 का नाम उपेन्द्र के स्थान पर उदय लिखा गया है लिहाजा वादपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में प्रार्थना–पत्र में दर्शित अनुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादी पक्ष की अभी उपस्थिति सुनिश्चित नही हुई है।

सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी, प्रतिवादी संख्या–2 का नाम सही अंकित करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन आवश्यक प्रकृति का है और इस प्रकार के संशोधन, जिससे कि किसी पक्ष पर विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, उन्हें न्यायालय द्वारा अनुमत किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय के मत में प्रार्थना–पत्र 18क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 18क स्वीकार किया जाता है। वादी अपने प्रार्थना–पत्र में दर्शित किये अनुसार संशोधन वादपत्र में 07 दिन के अन्दर अक्षरतः करना सुनिश्चित करे। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 26.02.2022 को पेश हो।

(प्रबोध कुमार वर्मा)
सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।

Digitally signed by Prabodh Kumar Verma
Date: 2022.01.05 06:10:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur